वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल

आरडीआर के नमूने के उपयोग संबंधी नियम 2017

(पार्टी संविधान के अनु.–15.2 के तहत निर्मित)

1. आरडीआर के उद्देश्य

1.1. वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल की धारणा है कि पार्टी और उसके सदस्यों के बीच संबंध अधिवक्ता और क्लाइंट के संबंध के समान है। अधिवक्ता को क्लाइंट द्वारा ही भुगतान किया जाना चाहिए। अन्यथा क्लाइंट के लिए वकील की ईमानदारी और निष्ठा कमजोर और संदिग्ध होने लिए बाध्य होगी। सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के याचिकाकर्ताओं को मुफ्त अधिवक्ता प्रदान करती है। जिस प्रकार सरकार याचिकाकर्ताओं की ओर से वकीलों का वित पोषण करती है, इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के आर्थिक हितों की वकालत करने वाले राजनीतिक दलों का वित पोषण भी सरकार द्वारा होना चाहिए। उक्त धन सरकार से राजनीतिक दलों को प्राप्त होना चाहिए। किन्तु यह धन राजनीतिक दलों को सीधे सरकार से न मिलकर पार्टियों के आर्थिक रूप से कमजोर कार्यकर्ताओं के माध्यम से मिलना चाहिए। इस प्रकार राजनीतिक दलों को अपने प्रत्येक सदस्य और समर्थकों द्वारा वित्त पोषित किया जाना चाहिए, न कि केवल कॉर्पोरेट शक्तियों द्वारा।

1.2. वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल आर्थिक रूप से निम्न व मध्यम वर्ग को आर्थिक न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है। किंतु इस उद्देश्य को प्राप्त करने की सबसे बड़ी बाधा है–कारपोरेट संस्थानों द्वारा उनके असीम धन की ताकत से संचालित बड़े राजनीतिक दल और उनके मीडिया संस्थानों द्वारा निर्मित व निर्देशित किया जाने वाला जनमत। अपने इस निष्कर्ष के कारण पार्टी ऐसे कार्यक्रम अपनाने पर कार्यरत है, जिससे पार्टी के संचालन का खर्च स्वयं निम्न व मध्यम वर्ग के लोग ही उठाएं और कारपोरेट मीडिया के विकल्प के तौर पर वोटर मीडिया का नेटवर्क गांव–गांव मोहल्ला मोहल्ला खड़ा हो जाए, जिसमें शिशु स्वरूप वोटरों को आत्मघाती कार्यक्रमों का समर्थन करके नुकसान उठाने से सुरक्षित रखा जा सके और उनको उनके आर्थिक हितों के अनुरूप सूचनाएं व मार्गदर्शन नियमित मिलता रह सके।

1.3. यह सर्वविदित है कि संसदीय लोकतंत्र संचालित करने का दायित्व राजनीतिक दलों पर होता है किंतु चंदे और मीडिया की ताकत से कारपोरेट घराने सत्ताधारी राजनीतिक दलों को और सरकार को स्वयं संचालित कर रहे हैं। इसके कारण पूरा संसदीय लोकतंत्र व संपूर्ण संवैधानिक मशीनरी जनमत से संचालित होने की बजाय गिने–चुने कारपोरेट घरानों की निजी इच्छा से संचालित हो रही है। लोकतंत्र बहुमत की बजाय अल्पमत से संचालित हो रहा है। यानी लोकतांत्रिक राज्य की मृत्यु हो चुकी है और संवैधानिक मशीनरी का विध्वंस होने की परिस्थिति पैदा हो चुकी है।

1.4. कारपोरेट घराने चंदे के नाम पर एक रूपया राजनीतिक दलों में निवेश करके सैकड़ों, यहां तक कि कभी–कभी हजार गुना रकम भ्रष्ट तरीके से वापस वसूल लेती हैं। कारपोरेट घराने सत्ता में आई पार्टी के नेताओं से गैरकानूनी काम करवाने के लिए उन्हें चंदा देते हैं और साथ ही साथ प्रमुख विपक्षी दलों को भी चंदा देते रहते हैं। जब चुनाव के बाद पहली पार्टी की जगह विपक्षी पार्टी सत्ता में आती है तो यह कारपोरेट घराने उससे भी जन विरोधी व गैर कानूनी काम करवाते हैं। जिसकी वजह से सत्ता में पार्टी के बदलने के बावजूद आम जनता को सत्ता परिवर्तन का लाभ, विशेषकर अपेक्षित आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता।

1.5. ऐसी परिस्थिति खत्म करने के लिए सरकार को चाहिए कि वह कोई ऐसा उपाय अपनाए या किसी ऐसे उपाय में सहयोग करे, जिससे राजनीतिक दल में शामिल होकर एक आम बेरोजगार इंसान भी समाज सुधार और राजनीतिक सुधार कार्यों में अपनी योग्यता और अपनी क्षमता के अनुरूप अपना योगदान दे सकें। कारपोरेट घरानों को सक्षम कानूनों द्वारा बाध्य किया जाना चाहिए कि वह राजनीतिक दलों को चंदा प्रस्तावित व्यवस्था के माध्यम से ही दे सकें और अपना दिया हुआ चंदा या अपने द्वारा किये गये दीर्घकालिक निवेश के बदले अनिश्चितकालीन अवधि में इतनी राशि वापस पा सके, जिससें अधिक से अधिक लोग अधिक से अधिक चंदा देना पसंद करें।

1.6. पार्टी का निष्कर्ष है कि आर्थिक अन्याय की एक ही पीड़ा से पीड़ित लोगों की ताकत उतने टुकड़ों में टूट जाती है, जितने राजनीतिक दल बनते हैं। इसका कारण यह होता है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के आधार पर एक से अधिक राजनीतिक दलों का सदस्य नहीं बन सकता। किंतु एक से अधिक राजनीतिक दलों को चंदा दे सकता है। अधिनियम में यह धारा चंदा देने वाले कॉर्पोरेट ताकतों द्वारा जुड़वाई गई है, जिससे कॉर्पोरेट सभी दलों का लाभ उठा सकें और बाकी समाज के लोग केवल एक ही दल का लाभ उठा सकें। इसीलिए कोई ऐसा उपाय होना चाहिए जो अलग–अलग दलों के सदस्यों को एक मंच उपलब्ध कराता हो और उनको एकजुट बने रहने का अवसर वापस उन्हें देता हो। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पार्टी ने अपने संविधान के अनुच्छेद 22 में लिखित संविधान के आधार पर अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन बनाने का प्रावधान किया है।

1.7. इसलिए वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल ने ऐसे कार्यक्रमों को अपनाया है जिससे राज्य को फिर से जिंदा किया जा सके और संवैधानिक मशीनरी को वापस पटरी पर लाया जा सके। पार्टी एक ऐसे उपाय पर काम कर रही है जिससे कार्पोरेट घरानों की तरह अलग–अलग राजनीतिक दलों के सदस्यों को भी एक से अधिक दलों का लाभ उठाने का अवसर मिल जाये साथ ही सभी राजनीतिक दलों को अपने–अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए एकजुटता का अवसर मिल जाये।

1.8. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को जब वेतन देने का कार्य शुरू हो जाएगा, तो अधिकांश बेरोजगार लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाएगा। हर एक व्यक्ति उत्पादक बन जायेगा, अपराध व उग्रवाद के रस्ते पर या आत्महत्या के रास्ते पर जाने से बच जायेगा।

2. राजनीतिक वित्त पर पार्टी की मान्यताएं–

2.1 पार्टी की मान्यता है कि सीधे राजनीतिक दलों को चंदा देने पर कानूनी रोक लगनी चाहिए। इसके बावजूद यदि चोरी–छिपे कोई कारपोरेट घराना किसी राजनीतिक दल को चंदा देता है तो उसे अपराध की श्रेणी का कार्य माना जाना चाहिए। इस प्रकार के चंदे के बदले टैक्स में छूट कदापि प्राप्त नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई बेरोजगार व्यक्ति या सामाजिक और राजनीतिक कार्य में रुचि रखने वाला व्यक्ति अपने परिश्रम का योगदान दें, चाहे कोई व्यक्ति या संस्था या कोई कारपोरेट घराना वित्तीय योगदान दे– इन सभी को अपने योगदान के एवज में अपने पास सुबूत के तौर पर रखने के लिए एक प्रमाणपत्र मिलना चाहिए, जो एक नोट नुमा डिजाइन के रूप में ही होना चाहिए, इस नोटनुमा डिजाइन को पार्टी में आरडीआर के रूप में परिभाषित किया गया है।

2.2 किए गए काम के बदले भुगतान और दिए गए धन के बदले भुगतान को पार्टी दो वर्गों में वर्गीकृत करती है। पार्टी का निष्कर्ष है कि राजनीतिक अंधविश्वास के कारण अब तक यह माना जाता रहा कि किए गए ''लोक सेवा'' के बदले भुगतान केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिनको सरकार ने अपने कार्यालय में जगह दे रखी है। यानी सरकारी कर्मचारी बना रखा है। लेकिन उन लोगों को भुगतान नहीं मिलेगा, जो लोक सेवा तो करते हैं लेकिन उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं है। यह दोहरा मापदंड आरडीआर की उक्त विचारधारा के सामने आने से उजागर हो रहा है।

2.3 वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के माध्यम से अब यह आवाज उठ रही है कि किए गए कार्य के बदले भुगतान उन लोगों को भी मिले, जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। यानी "सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया गया कार्य ही लोक सेवा है"– यह विश्वास अब राजनीतिक "अंधविश्वास" बन गया है।

2.4 सामाजिक और राजनीतिक कार्यों को ''लोक सेवा'', विशेषकर ''भुगतान योग्य लोक सेवा'' मानना आज के समय की जरूरत भी है। क्योंकि जनसंख्या के जितने बड़े हिस्से को रोजगार की जरूरत है, उन सभी को परंपरागत अर्थ में रोजगार देना संभव नहीं है। क्योंकि कंपनियां अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के कारण इंसानों से काम कराने की बजाय ऑटोमेटिक मशीनों से काम कराने के लिए विवश हैं और इतनी बड़ी जनसंख्या को सरकारी कर्मचारी बनाना सरकार के लिए संभव नहीं है।

2.5 पार्टी का निष्कर्ष है कि लोक सेवा के बदले भुगतान हो। जिस प्रकार एक उद्यमी को किसी उद्यम में लोगों को रोजगार देने के लिए ''वर्किंग कैपिटल'' की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार सामाजिक–राजनीतिक क्षेत्र में भी लोगों को लोक सेवा का अवसर देने के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है।

2.6 वर्किंग कैपिटल यदि चंदे के नाम पर अरबपतियों द्वारा दिया जाता है और यदि दिया गया चंदा अरबपतियों के सामूहिक हितों पर ही खर्च किया गया, तो समझना चाहिये कि इस खर्च से ही उसका भुगतान हो गया। अब अलग से भुगतान करने का औचित्य नहीं उठता. यह चंदे की परंपरागत परिभाषा में आता है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने चंदा दिया, उसने अपने चंदे से "अपने आर्थिक समुदाय" के लिए सामुदायिक लाभ उठा लिया।

2.7 किंतु अगर चंदा देने वाले व्यक्ति का धन उसके अपने आर्थिक समुदाय के बजाय जरूरतमंद आर्थिक समुदाय यानी गरीब और मध्यम वर्ग के सामूहिक हित पर खर्च किया जाए, तब उस चंदे को वित्तीय निवेश जैसा समझा जाना चाहिए। यद्यपि तकनीकी रूप से न तो इसको वित्तीय निवेश कहा जा सकता है और न तो चंदा ही। यह चंदा और निवेश के बीच की कोई चीज है, जिसका अलग से नामकरण करना पड़ेगा. अंतरिम तौर पर इस राशि को ''सामाजिक निवेश'' कहकर काम चलाया जा सकता है।

2.8 गरीब और मध्य वर्ग अपने सामूहिक हित के लिए धन खर्च करने की स्थिति में नहीं है, या इतना जागरुक नहीं है कि वह अपने सामूहिक जरूरत के लिए व्यक्तिगत धन खर्च कर सकें। इसलिए प्रारंभ में इस जागरूकता के पैदा होने तक संपन्न वर्ग से अनिश्चितकालीन भुगतान की शर्त पर धन लेकर मध्यम और निम्न वर्ग के समूहगत आर्थिक हितों और राजनीतिक प्रशिक्षण पर खर्च करना होगा। चूंकि यह भुगतान अनिश्चित काल में होगा, इसलिए अपेक्षाकृत अधिक व्याज के साथ या कई गुना धन की वापसी करना होगा, तभी अपेक्षित मात्रा में कर्ज या सामाजिक निवेश मिल पाएगा। तकनीकी रूप से धन लेने वाला संगठन कर्ज समझकर धन लेगा। लेकिन धन देने वाला व्यक्ति या संस्था चंदा समझकर धन देगी, जिसकी वापसी की उम्मीद हो भी सकती है और नहीं भी। इसलिए न तो यह लेन–देन कर्ज़ के लेन–देन जैसा होगा और न तो यह निवेश के लेन देन जैसा होगा। हां, यह लेन देन शेयर बाजार के लेन देन जैसा हो सकता है।

2.9 वित्तीय लेन–देन की दुनिया में सामाजिक निवेश एक नई खोज है। इसलिये इसको नई खोज के दृष्टिकोण से ही देखना होगा। चंदे, या कर्ज, या निवेश–तीनों ही चश्मे से देखने से यह लेन–देन दिखाई नहीं पड़ेगा और देखने वाले के मन में पूर्वाग्रह संबंधी दोष पैदा होंगे। इन्हीं पूर्वाग्रहों से इस लेन देन को दोषी समझने की गलती भी हो सकती है।

3. <u>नियमावली का शीर्षक</u>

4. नियमावली में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों की परिभाषाएं–

4.1 आरडीआर –

(i) सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सम्पादित कार्य मूल्यांकन प्रमाणपत्र

(ii) आर्थिक रूप से निम्न व मध्य वर्ग के आर्थिक व राजनीतिक हितों के लिए किये जाने वाले कार्यों के सम्पादन हेतु दिये जाने वाले आर्थिक अनुदान के बदले में जारी प्रमाण पत्र।

4.2 आरडीआर के नमूने – आरडीआर के लाभों के प्रति जनजागरुकता पैदा करने के लिए तथा आरडीआर सम्बन्धी विभिन्न मुद्दों पर सर्वेक्षण के उद्देश्य से पार्टी द्वारा जारी किये गये प्रस्तावित आरडीआर डिजाइन के नमूने।

4.3 मान्यता प्राप्त राजनीतिक सुधार – कानूनी ढांचे में व संवैधानिक प्रावधानों में संशोधनों की वह सूची जिससे आर्थिक रूप से निम्न व मध्यम वर्ग को वितरण का न्याय और उनके विश्व स्तरीय राजनीतिक व आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हों। यह सूची पार्टी गठबन्धन द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

4.4 पार्टी गठबन्धन – पार्टी के संविधान की अनुसूची – 1 में यथा परिभाषित

4.5 सामाजिक निवेश – आर्थिक रूप से निम्न व मध्य वर्ग के आर्थिक व राजनीतिक हितों के लिए किये जाने वाले कार्यों के सम्पादन हेतु धन वापसी की सम्भावनाओं के साथ दिये जाने वाले आर्थिक अनुदान

5. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में रोजगार और वेतन देने के उपाय

सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में बेरोजगार युवक–युवतियों को रोजगार देने के उद्देश्य से उपक्रम शुरू करने के लिए वर्किंग कैपिटल के तौर पर प्राप्त जिस राशि को ''सामाजिक निवेश'' मानकर लिया गया होगा, इस राशि के दाता को प्रमाणपत्र के तौर पर पार्टी द्वारा पहले आरडीआर का नमूना देगी और तत्पश्चात आरडीआर निर्गमन के बाद पार्टी गठबन्धन की ओर से आरडीआर देगी। इस सामाजिक निवेश का भी अपेक्षाकृत आकर्षक बढोत्तरी के साथ भुगतान मिल सके, इसके लिए उक्त उपक्रमों से प्राप्त आय का उपयोग किये जाने की पक्षधर है,, बशर्ते इस राशि को निम्न और मध्य वर्ग की सामूहिक राजनीतिक जरूरतों पर खर्च किया गया हो।

''रिफंडेबल डोनेशन रिसीट'' के प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत जिन लोगों को कंपनियों में और सरकार में रोजगार नहीं प्राप्त होगा, उनको प्रेरित किया जाएगा कि वह किसी न किसी सामाजिक संगठन से या किसी न किसी अपनी मनपसंद राजनीतिक पार्टी से जुड़ कर काम करें और अपने काम के बदले में वेतन प्राप्त करें।

''मान्यता प्राप्त राजनीतिक आर्थिक सुधारों'' के लिए तमाम अराजनीतिक संगठनों और राजनीतिक पार्टियों की जरूरत पड़ेगी। यह सभी संगठन और राजनीतिक दल बेरोजगार युवकों और युवतियों को रोजगार देने का जरिया बनेंगे, जिनको काम के बदले भुगतान किया जाएगा।

6. आरडीआर के सम्बन्ध में पार्टी का संकल्प

6.1 पार्टी का प्रयास होगा कि आरडीआर एक ऐसा उपकरण बन सके जिससे कि यह सरकार और बाजार से बहिष्कृत किए गए बेरोजगार युवक–युवतियों को रोजगार दे सके और उनके द्वारा किए गए सामाजिक और राजनीतिक सुधारों संबंधी कार्यों के बदले कुछ समय अंतराल के बाद अनिश्चित भविष्य में भुगतान देने का माध्यम बन सकें।

6.2 सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से समाज को प्रेरित किया जाएगा कि लोग केवल उन्हीं कंपनियों से बने सामानों को बाजार से खरीदें, जिन कंपनियों के संचालक अपनी आय का और अपनी कंपनी की आय का कुछ अंश निम्न व मध्यम आय वर्ग के लिये उपयोगी मान्यता प्राप्त राजनीतिक आर्थिक सुधारों के लिए अपना कार्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी कोष खर्च करने को तैयार हों। जो कंपनियां उक्त सुधारों के लिए तैयार न हों, उनके सामान न तो खरीदें और न अपनी दुकान पर बेचें। इन कंपनियों के सामान की बिक्री से और उस बिक्री में बढ़ोतरी से जो अतिरिक्त आय कंपनी को होगी, उस आय का एक हिस्सा प्राप्त करके सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को उनके काम के बदले वेतन देने के कार्य में पार्टी सहयोग करेगी।

6.3 मान्यता प्राप्त राजनीतिक आर्थिक सुधारों के लिए काम करने वाले संगठन और राजनीतिक पार्टियां सामूहिक रूप से कुछ कंपनियां स्वयं संचालित करेंगे और घरेलू उपभोग की वस्तुओं को उन कंपनियों में पैदा करेंगे। इन वस्तुओं को बेचने के लिए अपने क्षेत्र के दुकानदारों से संपर्क करके वस्तुओं के विक्रय करवायेंगे। इस प्रकार वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त आय का लगभग 100% सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को वेतन देने के कार्य में पार्टी सहयोग करेगी।

6.4 सामाजिक और राजनीतिक काम करने वाले कार्यकर्ताओं के माध्यम से देश के श्रमिकों में जागरूकता पैदा की जाएगी और उनको यह बताया जाएगा कि किस प्रकार एक बेरोजगार श्रमिक दूसरे बेरोजगार श्रमिक के वेतन को कम कराने की होड़ में लगा है। सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता श्रमिकों को प्रेरित करेंगे कि रोजगार प्राप्त करने के लिए वह संगठनों के किसी साझे मंच में अपना पंजीकरण कराएं। ऐसा मंच, जो मान्यता प्राप्त सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सुधारों के लिए काम करने वाले संगठनों के द्वारा सामूहिक रुप से बनाया गया हो। श्रमिकों को प्रेरित किया जाएगा कि वह सीधे जाकर किसी कंपनी में रोजगार प्राप्त न करें। अपितु अपने रोजगार देने वाली उक्त संस्था के माध्यम से ही किसी कंपनी में या किसी रोजगार देने वाले संस्थान में, दुकान में या खेत व खलिहान में काम करने के लिए जाएं। ऐसा करने से उनके हितों की रक्षा उनका अपना संगठन कर सकेगा।

6.5 रोजगार देने वाली अपनी संस्था से श्रमिकों को जो आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, उसका छोटा सा हिस्सा वह इस संस्था को दे सकते हैं, जिससे यह संस्था अपना काम कर पाएगी। इसी पैसे से सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को वेतन भी दिया जा सकेगा।

6.6 जिन कंपनियों में काम करने के लिए श्रमिकों की जरूरत होगी, उन कंपनियों में श्रमिकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के एवज में पार्टी गठबन्धन द्वारा अधिकृत कम्पनियों द्वारा कुछ सेवा शुल्क लिया जा सकेगा और यह शुल्क सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को वेतन देने के लिए आय का जरिया बनेगा।

6.7 पार्टी गठबन्धन से जुड़े सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के कार्यकर्ता समाज के लोगों को इस बात के लिए तैयार करेंगे कि वह अपनी आमदनी और अपनी बचत का पैसा केवल उसी बैंक में जमा करें और ब्याज प्राप्त करें जो बैंक मान्यता प्राप्त विश्व स्तरीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधारों के लिए अपनी आय का कुछ हिस्सा देने को तैयार हो। बैंकों से प्राप्त यह आय सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को वेतन देने के लिए खर्च किया जाए, ऐसा पार्टी का प्रयास होगा।

6.8 पार्टी की नीतियों के अनुरूप न्यायप्रिय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए काम करने वाले सामाजिक और राजनीतिक संगठन सामूहिक रूप से अपना बैंक भी चला सकते हैं और उस

बैंक से प्राप्त आय का लगभग 100 प्रतिशत सामाजिक राजनीतिक कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के वेतन पर खर्च करें, ऐसा पार्टी का प्रयास होगा।

6.9 जब सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को वेतन मिलने लगेगा या भविष्य में वेतन प्राप्त होने का विश्वास हो जाएगा तो इन कार्यकर्ताओं के सामूहिक प्रयत्नों से कोई राजनीतिक पार्टी या कुछ राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब हो सकता है। पार्टी का प्रयास होगा कि यह सरकार कुछ कानूनों में सुधार करे, जो कानून सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को वेतन देने में बाधक होंगे।

6.10 पार्टी द्वारा अर्थव्यवस्था मे सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के कार्य को सकल घरेलू आय को बढ़ाने वाला कार्य माना जाएगा। पार्टी की सरकार बनने के बाद इस बढ़े हुए उत्पादन के बदले करेंसी नोट की मात्रा भी बढ़ाकर निर्गमित की जाएगी। इस प्रकार सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के सेवाओं के बदले पैदा हुई करेंसी नोट को सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के वेतन पर खर्च किया जाएगा. इसको संभव बनाने के लिए आवश्यक कानूनों का निर्माण किया जाएगा।

6.11 उक्त उपायों को अपनाने के बावजूद यदि सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को वेतन देने के लिए धन की कमी पड़े, तो पार्टी का प्रयास होगा कि सरकार द्वारा वित्त विधायकों को पारित करवा कर सरकारी खजाने से इस कमी को पूरा किया जाये।

6.12 सामाजिक निवेश का भुगतान करने के लिए यदि उक्त उपक्रमों से प्राप्त आय कम पड़ती है तो इस सामाजिक निवेश के भुगतान के लिए भी वित्त विधायकों को पारित करवा कर सरकारी खजाने से इसका भुगतान किया जाये, ऐसा पार्टी का प्रयास होगा।

6.13 वास्तविक आरडीआर निर्गमन करने के लिए प्रस्तावित संगठनों; यथा– "मिशन फॉर ग्लोबल चेंज"; "ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेमोक्रेसी" और "ग्लोबल सिटीजन फंड" के गठन और उनका संयुक्त उपक्रम प्रारंभ करने व सुचारू रूप से चलाने के लिए पार्टी एक प्रेरक की भूमिका निभायेगी।

7. आरडीआर पर पार्टी की नीति

7.1 पार्टी की नीति होगी कि धन वापसी के लिए कानूनी, वैधानिक व सशर्त प्रयास करने का वचन आरडीआर धारकों को पार्टी की ओर से देने की बजाय आरडीआर समर्थक पार्टियों और समर्थक सामाजिक संगठनों के सामूहिक गठबंधन की ओर से दिया जाए। दूसरे शब्दों में इसका यह अर्थ होगा कि प्रत्येक आरडीआर धारक आरडीआर के बदले संगठनों के साझे मंच के माध्यम से धनवापसी के लिए व्यक्तिगत प्रयास करने का वचन स्वयं दे रहा है। उदाहारण के लिए 25 आरडीआर की भाषा यह होगी –

'मैं यथाशक्य कानूनी व संवैधानिक प्रयास करने का सशर्त वचन देता हूँ कि भारत की संसद वित्त विधेयको द्वारा धारक को अंतर्राष्ट्रीय विनिमय माध्यम से 25 अमेरिकी डॉलर के तुल्य भारतीय मुद्रा अदा करे।'

7.2 जब आरडीआर बहुत से राजनीतिक दलों और बहुत से सामाजिक संगठनों के साझे प्रयासों का प्रतिफल होगा, तब संबंधित राजनीतिक दलों के गठबंधन का सरकार बनाने व सत्ता तक पहुंचने की संभावना किसी एक राजनीतिक दल की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होगी और विधायिका द्वारा कानून बनाकर आरडीआर धारकों को धनवापसी जल्द से जल्द करवा पाने की संभावना बढ़ेगी।

7.3 अत्यन्त धनवान लोग आरडीआर को पैसा कमाने व निवेश का जरिया न बना सकें और कॉर्पोरेट ताकतें पार्टी की निर्णय प्रक्रिया में दखल न दे न सकें, इसके लिए पार्टी की नीति यह होगी कि

पार्टी और पार्टी गठबंधन के समस्त सदस्य राजनीतिक दल (पंजीकृत), जो आरडीआर की नीति और नियमावली पर अपनी लिखित सहमति व्यक्त करें–

7.3.1 एक सीमा से अधिक रकम एक साल में एक व्यक्ति से चन्दे के रूप में न लें। इस सीमा की देश की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्येक 5 वर्ष बाद समीक्षा की जाये।

7.3.2 आरडीआर के बदले केवल इतना ही अनुदान ले सकें, जो रकम उसके द्वारा निर्वाचन में खड़े किये जाने वाले प्रत्याशियों की संख्या में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गयी उस समय की चुनाव में खर्च की सीमा के गुणनफल का दो गुना हो। जिससे आधी रकम चुनाव लड़ रहा प्रत्याशी खर्च कर सके और आधी रकम पार्टी अपने सम समाष्टिगत प्रबंधन में खर्च कर सके।

7.4 कोई भी राजनीतिक दल जो पार्टी गठबन्धन का सदस्य नहीं हो, वह आरडीआर उपयोग करने का अधिकारी न हो, जिससे कोई भी राजनीतिक दल कार्पोरेट ताकतों के एजेंट की तरह काम करने के लिए आरडीआर का दुरुपयोग न कर सके।

7.5 आरडीआर धारकों को उनके द्वारा दी गयी रकम की वापसी में बढोत्तरी की दर समय के साथ कम होती जाये। दर का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद समीक्षा हो। पार्टी या पार्टी गठबंधन के सरकार बनाने और सत्ता में पहुंचने की सम्भावित अवधि जितनी अधिक हो, बढ़ोतरी की दर भी उतनी अधिक हो। सत्ता में पहुंचने की सम्भावित अवधि जितनी कम हो, बढ़ोत्तरी की दर भी उतनी कम हो। उदाहरण के लिए यदि प्रारंभ में आरडीआर धारकों को उनके द्वारा दी गयी रकम की वापसी में बढोत्तरी की दर 70 गुना हो, तो बाद में घटकर व 10 गुना, या 5 गुना, या 2 गुना ही हो। सत्ता में पहुंचने के बाद यह वृद्धि दर घटते घटते शून्य हो जाये।

7.6 पार्टी की नीति होगी कि आरडीआर की वास्तविक डिजाइन कॉपीराइट अधिनियम और ट्रेडमार्क अधिनियम में मान्यता प्राप्त हो और आर डी आर की ऐसी छवि बने कि वह किसी एक पार्टी या किसी एक गैर सरकारी संगठन के प्रयासों का परिणाम होने की बजाय बहुत से राजनीतिक दलों और बहुत से सामाजिक संगठनों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।

7.7 पार्टी की नीति यह है कि पहले चरण में प्रस्तावित आरडीआर का नमूना पार्टी स्वयं छाप कर अपने सदस्यों को सदस्यता रसीद के साथ बिना शर्त और बिना कोई धनराशि लिए सदस्यों के बीच पहुंचायेगी, जिससे आरडीआर के लाभों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके। जिससे प्रस्तावित आरडीआर के प्रति जनता और राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों को प्रशिक्षित किया जा सके। दूसरे चरण में जब एक से अधिक पार्टियां और एक से अधिक सामाजिक संगठन आरडीआर की प्रस्तावित योजना को स्वीकार कर लेंगे, तब वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल आरडीआर के नमूने की छपाई बंद कर देगी और वास्तविक आरडीआर छापने के लिए सभी समर्थक पार्टियों और समर्थक सामाजिक संगठनों के साझे मंच को अधिकृत कर देगी, जिसका लिखित संविधान हो, जिसका सरकार के किसी पंजीकरण संस्थान में पंजीकरण हो, जिसका विधिवत ऑडिट होता हो, जो वित मंत्रालय और रिजर्व बैंक को अपनी वार्षिक रिपोर्ट नियमित देता रहे।

7.8 पार्टी की नीति होगी कि आरडीआर को दो तरीके से हासिल किया जा सके। पहला पेपर पर मुद्रित हार्ड कापी के माध्यम से और दूसरा डिजिटल माध्यम से डिजिट के रूप में।

7.9 पार्टी का अनुभव है कि कम शिक्षित आर्थिक रूप से निम्न व कम पढ़े लिखे लोग आरडीआर को हार्ड कॉपी के रू॰ में ही पसन्द करते है। स्मार्ट फोन नियमित इस्तेमाल करने की आर्थिक क्षमता

नहीं होने के कारण वे डिजिटल रिकार्ड को न तो सम्भाल कर रख पाते हैं, और न ही डिजिटल रिकार्ड के बहु आयामी लाभों को समझने में सक्षम ही होते हैं। इसी लिए आरडीआर को पेपर पर मुद्रित करना तो आवश्यक है ही, यह भी आवश्यक है कि डिजिटल अंकों में आरडीआर लेने के लिए सभी लोगों को बाध्य न किया जाये।

7.10 सन् 2009 में भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों को आरडीआर का जो डिजाइन विचारार्थ भेजा गया था, उस समय आरडीआर को नोट नुमा मुद्रित करना उद्देश्य नहीं था, मात्र संयोग था। किन्तु अब कई वर्षों के अनुभव के बाद आरडीआर को नोटनुमा मुद्रित करना आवश्यक साबित हुआ है।

7.11 पार्टी की नीति यह है कि आरडीआर का डिजाइन नोट नुमा नहीं होने पर निम्न आर्थिक वर्ग के लोगों नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि वे इस डिजाइन में निहित दीर्घकालिक वित्तीय लाभों का संदेश ग्रहण करने में नाकामयाब हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप अपने मनपसन्द दल को नियमित चंदा देने के प्रति उदासीन हो जाते हैं। इससे निम्न आर्थिक वर्ग के लोग अपने मनपसंद राजनीतिक दल को कार्पोरेट के चंगुल में जाने से बचा नहीं पाते।

7.12 पार्टी की नीति यह है कि आरडीआर के बदले बकाया भुगतान बैंक की ब्याज की दर से करना अन्यायकारी होगा, क्योंकि आरडीआर के मामले में धनवापसी धन दाता की इच्छा से संभव नहीं है, राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर है।

7.13 चूंकि बाजार का वैश्वीकरण हो चुका है और पार्टी की मान्यता है कि समान काम के समान वेतन का सिद्धांत सही है, अतः पार्टी की नीति यह है कि भारत सहित पूरे विश्व के प्रत्येक देश में समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए। इसलिए काम के बदले भुगतान भी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के तुल्य भारत की करंसी में होना चाहिए। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय विनिमय माध्यम अंतर्राष्ट्रीय डॉलर है, इसलिए भारत में भी काम के बदले भुगतान अंतर्राष्ट्रीय डॉलर के तुल्य भारतीय मुद्रा में होना चाहिए। आरडीआर के बदले अंतर्राष्टीय डॉलर के तुल्य भुगतान की शर्त तभी तक होगी, जब तक अंतर्राष्ट्रीय डॉलर भारतीय मुद्रा से महंगा बना रहेगा। सस्ता होने पर पार्टी की नीति होगी कि भुगतान के नये मानक तय किये जायें, जिससे आरडीआर धारक को अपने द्वारा दी गयी धनराशि अतिरिक्त रकम के साथ मिलना सुनिश्चित हो सके और अनुदानकर्ता आरडीआर के बदले अनुदान देना पसंद करें।

7.14 पार्टी की नीति यह है कि बाजार के वैश्वीकरण में श्रम के बाजार का वैश्वीकरण भी शामिल है। इसलिए पारिश्रमिक की दरें दुनिया के सभी देशों में एक ही होनी चाहिए। चूंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विनिमय के लिए अंतर्राष्ट्रीय डॉलर की दर स्वीकार्य है इसलिए भारत में भी पारिश्रमिक का भुगतान अंतर्राष्ट्रीय डॉलर के तुल्य भारतीय मुद्रा में होना चाहिए।

8. आरडीआर नमूने के माध्यम से सर्वेक्षण के विषय –

8.1 क्या आरडीआर के प्रस्तावित डिजाइन का नमूना पार्टी के सदस्यता आवेदन पत्रों, प्रमाणपत्रों आदि की नकली छपाई को रोकने में मददगार हो सकता है?

8.2 यह सर्वेक्षण करने के लिए कि यदि जनता को उसके द्वारा उसके पसंदीदा दलों को दिए गए चंदे को कानून बनाकर सरकार से अनिश्चित भविष्य में वापसी का प्रस्ताव मिले, तो क्या जनता स्वीकार करेगी?

8.3 उक्त ''सामाजिक निवेश'' या चंदे की वापसी के लिए राजनीतिक दलों द्वारा किये गये प्रयासों को देखकर निम्न व मध्यम वर्ग के लोग क्या अपने मनपसंद दलों को चंदा देने की शुरुआत कर सकते हैं?

8.4 यादि कागज का एक ही डिजाइन सभी दलों के सदस्यों के बीच पहुंचे, तो क्या उनमें अलग अलग दलों के सदस्यों के बीच साझे हितों को पूरा करने के लिए परा राजनैतिक एकजुटता बन सकती है?

8.5 आरडीआर के प्रस्तावित नमूने का डिजाइन लोगों के बीच पहुंचने से क्या राजनीतिक दलों के लिए चंदे के महत्व पर चर्चा छिड़ सकती है और क्या उस चर्चा के माध्यम से जनता को चंदा देने के कर्तव्य के प्रति शिक्षित किया जा सकता है?

8.6 आरडीआर के प्रस्तावित डिजाइन के नमूने को देखने के बाद निम्न व मध्यम वर्ग का, कानून के जानकारों का और सरकारी एजेंसियों की प्रतिक्रिया क्या होगी?

8.7 क्या नंबरिंग कर देने के बाद भी प्रस्तावित आरडीआर की डिजाइन के नमूने की नकली प्रिंटिंग की घटनाएं सामने आएंगी?

8.8 प्रस्तावित आरडीआर को वास्तव में बड़े पैमाने पर छपवाने पर उसकी छपाई की लागत क्या होगी और क्या वह लागत कहीं से प्राप्त की जा सकेगी?

8.9 आरडीआर के प्रति पर्याप्त जागरुकता हो जाने के बाद क्या आरडीआर को हस्तांतरणीय बनाने की मांग जनता में उठ सकती है?

8.10 क्या अमेरिकन डालर के तुरन्त भुगतान करने का आश्वासन लागों को इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि वे अपने मनपसंद दलों को नियमित चंदा भुगतान कर दें।

8.11 राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए न्यूनतम कितने गुना धनराशि की वापसी की संभावना पर लोग आरडीआर स्वीकार करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं?

9. आरडीआर नमूने की छपाई की प्रक्रिया

9.1 आरडीआर नमूनों की छपाई पार्टी के सदस्यता अभियान व प्रकोष्ठ के निवेदन पर पार्टी का प्रकाशन प्रकोष्ठ करेगा। छपाई की प्रक्रिया की शुरुआत सदस्यता किट की छपाई की प्रक्रिया के साथ ही होगा।

9.2 सदस्यता प्रकोष्ठ की अखिल भारतीय इकाई पार्टी की अखिल भारतीय कमेटी को यह जानकारी देगी कि उसको कितनी किटों/प्राथमिक सदस्यता/साधारण सदस्यता आवेदन पत्रों की छपाई करवानी है और उसमें प्रस्तावित आरडीआर डिजाइन के नमूने की कितनी प्रतियों की आवश्यकता होगी?

9.3 पार्टी की अखिल भारतीय कमेटी सदस्यता सामग्री की छपाई के साथ ही आरडीआर के नमूनों की छपाई का आदेश आवश्यक बजट के साथ पार्टी के प्रकाशन प्रकोष्ठ की अखिल भारतीय प्रभारी को देगा।

9.4 पार्टी के प्रकाशन प्रकोष्ठ की अखिल भारतीय इकाई प्रस्तावित आरडीआर के नमूनों की उतनी प्रतियों की छपाई करवाएगी, जितनी प्रतियों की मांग सदस्यता प्रकोष्ठ द्वारा की गई होगी। छपाने

के बाद प्रकाशन प्रकोष्ठ आरडीआर नमूनों की छपी हुई प्रतियां अखिल भारतीय कमेटी के स्टोर प्रभारी के पास जमा करा देंगे।

9.5 प्रकाशन प्रकोष्ठ प्रस्तावित आरडीआर के नमूने की छपाई में इस बात का ध्यान रखेगा कि चूंकि आरडीआर के नमूने पहले चरण में केवल वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के सदस्यों के बीच परिचालित होंगे, अतः सभी नमूनों पर पार्टी के संस्थापक, प्रेरक और नीति निर्देशक श्री भरत गांधी का फोटो अवश्य हो। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है कि जिससे आरडीआर की परिकल्पना के जनक श्री भरत गांधी का ही विचार आरडीआर के नमूने के साथ फैले, उसमें कोई मिलावट न हो सके।

9.6 आरडीआर नमूने के डिजाइन को छपवाने से पहले पार्टी की अखिल भारतीय कमेटी के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और उसके द्वारा सुझाए गए संशोधनों को करने के बाद ही नमूनों की छपाई का कार्य संपादित किया जाएगा। आरडीआर नमूने की नकली छपाई की रोकथाम के लिए और प्रस्तावित आरडीआर के यथासंभव निकटतम स्वरूप को जनता के बीच ले जाने के लिए यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक नमूने पर नंबरिंग की जाए और कागज ऐसा हो जो पानी में गिरने मात्र से नष्ट न होता हो और यह नमूना किसी देश के करेंसी नोट जैसा दिखाई पड़ता हो।

9.7 प्रत्येक नमूने पर वास्तविक आरडीआर निर्गमित करने वाले प्रस्तावित संगठनों ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेमोक्रेसी, ग्लोबल सिटीजन फंड और राजनीतिक दलों का गैप गठबंधन अवश्य लिखा जाए। 75 के आरडीआर पर भगवान श्री कृष्ण का, 250 के आरडीआर नमूने पर भगवान बुद्ध का चित्र प्रकाशित किया जाए। जब वास्तविक आरडीआर जारी होगा, तब आरडीआर पर नमूना शब्द नहीं लिखा जाएगा और विभिन्न मूल्यों के आधार पर किसका फोटो छपे का यह तय करने का अधिकार ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेमोक्रेसी नामक प्रस्तावित संगठन का होगा।

9.8 आरडीआर के प्रत्येक नमूने पर निम्नलिखित संदेश अवश्य लिखा होगा–'राजनीतिक सुधारों हेतु कार्य मूल्यांकन नोट' एवं शर्तें लागू। आरडीआर का वास्तविक अर्थ संप्रेषित करने के लिए और आरडीआर के नियमों और शर्तों को संप्रेषित करने के लिए एक वैबसाइट का नाम भी आरडीआर के नमूनों पर छपा होगा। आरडीआर के नमूने इस तरह छापे जाएं, जिससे लोग इन नमूनों को देखते ही ऐसी कोई वस्तु समझें, जिससे उनमे मन में इसके बारे में विस्तार से जानने की उत्कंठा पैदा हो और इसको लम्बे समय तक सुरक्षित रखने की मनोकामना पैदा हो, जिससे कम शिक्षित लोग डिजाइन को सदस्यता रसीद के साथ प्राप्त करते ही इधर उधर फेंक न दें। आरडीआर नमूने का डिजाइन का लेआउट बनाते समय उस लेआउट को ध्यान में रखा जाएगा जो लेआउट एक प्रार्थना पत्र दिनांक–31 दिसम्बर, 2010 के साथ संलग्न करके भारत सरकार की एजेंसियों को, लोकसभा व राज्यसभा को, सर्वोच्च न्यायालय को और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को श्री भरत गांधी द्वारा भेजा गया था।

9.9 आरडीआर के नमूने छप जाने के बाद नमूने को पार्टी का सदस्यता प्रकोष्ठ पार्टी के स्टोर से प्राप्त करेगा और सभी सदस्यता के आवेदन पत्रों के साथ उतने मूल्य का आरडीआर नमूना संलग्न करके सदस्यता के लिफाफे में डाल देगा, जितनी राशि का सदस्यता चंदा सदस्यों से लिया जाना प्रस्तावित हो।

9.10 सदस्यों से लिए जाने वाले चंदे की राशि का निर्धारण करते समय पार्टी द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उतने मूल्य का आरडीआर का नमूना देना संभव हो सके।

9.11 आरडीआर का नमूना मात्र भविष्य में निर्गतीकरण के लिए प्रस्तावित आरडीआर के लाभों के प्रचार प्रसार के लिए है। अतः इसको देने के बदले किसी भी व्यक्ति से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जो

पैसे चंदे के तौर पर पार्टी के सदस्यों से लिया जायेगा, उसके बदले पार्टी की ओर से रसीद जारी की जायेगी।

9.12 सदस्यता आवेदन पत्रों में यह विवरण लिखने के लिए कॉलम बनाया जाएगा कि किस सदस्य को किस क्रमांक का आरडीआर प्राप्त हुआ?

9.13 प्रत्येक सदस्यता आवेदन पत्र में सदस्य के लिए आरडीआर की शर्तों को स्वीकार करने की घोषणा करना अनिवार्य किया जाएगा, जिससे आरडीआर नमूने के प्रति किसी गलतफहमी का कोई व्यक्ति शिकार न होने पाये।

9.14 पार्टी की प्राथमिक सदस्यता चंदा रुपए रु. 150 होने पर प्रत्येक लेने वाले व्यक्ति को आरडीआर के रु. 25 के नमूने की तीन नोट और रु. 75 के नमूने की एक नोट दिया जाएगा।

9.15 यदि साधारण सदस्यता चंदा मात्र रु. 25 होगा तो यह राशि देकर सदस्यता लेने वाले व्यक्ति को पार्टी की रसीद के साथ आरडीआरके 25 मूल्य के नमूने का एक नोट भी दिया जाएगा।

9.16 यदि सदस्यता चंदा बढ़ता है, तो उसी राशि के बराबर मूल्य का आरडीआर का नमूना दिया जाएगा।

9.17 आरडीआर नमूने पर नम्बरिंग प्रत्येक वर्ष अलग–अलग कोड से की जायेगी, जिससे निर्गतीकरण वर्ष का पता चल सके।

9.18 जिन किटों को नष्ट किया जायेगा, उनमें मौजूद आरडीआर के नमूनों को भी नष्ट कर दिया जायेगा।

9.19 पैसों के बदले आरडीआर के नमूनों का आदान प्रदान नहीं होगा।

10. अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही –

10.1. पार्टी की जिला कमेटियों को अधिकार होगा कि वे ऐसे व्यक्तियों/असामाजिक तत्वों/पार्टी के पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक और/या कानूनी कार्यवाही कर सकें, जो–

10.2. आरडीआर के नमूने की नकली छपाई करते हुए पाये जायेंगे।

10.3. आरडीआर के नमूने के बदले पैसे लेते हुए पाये जायेंगे।

10.4. आरडीआर के नमूने के विषय में ऐसा कोई भी आश्वासन देते हुए पाये जायें, जो प्रस्तुत नियमावली के अनुसार स्वीकार्य न हों।

11. प्रस्तुत नियमावली का अनुवाद –

11.1. प्रस्तुत नियमावली का किसी भी भाषा में अनुवाद को पार्टी की केन्द्रीय कार्य समिति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

12. संकलन –

12.1. इस नियमावली को पार्टी के संविधान की अनुसूची–8 में संकलित किया जायेगा।

13. संशोधन व अनुवाद

13.1. प्रस्तुत नियमावली के किसी भी भाषा में अनुवाद के प्रारूप को, किसी व्याकरणगत त्रुटियों को और/या नियमावली के विभिन्न प्रावधानों में विसंगति और/या अवैधता को हटाने के लिए तैयार प्रस्ताव का अनुमोदन पार्टी की केन्द्रीय कार्य समिति द्वारा किया जायेगा।

13.2. इस नियमावली में किये गये संशोधनों को पार्टी के संविधान की अनुसूची–8 में संकलित किया जायेगा।

(वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल की संयुक्त बैठक 24.09.2017 में अनुमोदित)

संशोधन तिथि	संशाधित धारा	संशोधन
सन 2021	9.8	यह प्रस्ताव पारित किया गया कि आरडीआर की सन 2021 और उससे आगे आरडीआर की छपाई में जहां ''राजनीतिक सुधारों हेतु कार्यमूल्यांकन नोट'' लिखा है, वहां लिखा जायेगा ''राजनीतिक व आर्थिक सुधारों हेतु कार्य मूल्यांकन व अनुदान प्रमाण पत्र''
सन 2021	7.1	यह प्रस्ताव पारित किया गया कि आरडीआर की सन 2021 और उससे आगे आरडीआर की छपाई में जहां लिखा है– 'मैं यथाशक्य कानूनी व संवैधानिक प्रयास करने का सशर्त वचन देता हूँ कि भारत की संसद वित्त विधेयको द्वारा धारक को 25 अन्तर्राष्ट्रीय डॉलर के तुल्य भारतीय मुद्रा अदा करे।' **वहां लिखा जाऐगा–** 'मैं यथाशक्य कानूनी व संवैधानिक प्रयास करने का सशर्त वचन देता हूँ कि भारत की संसद वित्त विधेयको द्वारा धारक को भारत सरकार द्वारा मान्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा की 25 इकाई के तुल्य भारतीय मुद्रा अदा करे।'
सन 2021		आरडीआर के पूरे नाम के लिये रिक्वेस्ट डिमांडिंग रेम्युनरेशन किया जाये।
सन 2021		'मैं यथाशक्य कानूनी, संवैधानिक व सामूहिक प्रयास करने का संकल्प लेता हूँ कि भारत की संसद वित्त विधेयकों द्वारा आरडीआर के सभी धारकों को भारत सरकार द्वारा मान्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा की 25 इकाई के तुल्य भारतीय मुद्रा भारत सरकार के माध्यम से अदा किया जाये।' – धारक

संशोधन प्रस्ताव

विकल्प 1

'मैं यथाशक्य कानूनी व संवैधानिक प्रयास करने का सशर्त वचन देता हूँ कि भारत की संसद वित्त विधेयको द्वारा धारक को 25 अन्तर्राष्ट्रीय डॉलर के तुल्य भारतीय मुद्रा अदा करे।'

विकल्प 2

'मैं यथाशक्य कानूनी व संवैधानिक प्रयास करने का सशर्त वचन देता हूँ कि भारत की संसद वित्त विधेयको द्वारा धारक को भारत सरकार द्वारा मान्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा की 25 इकाई के तुल्य भारतीय मुद्रा अदा करे।'

विकल्प 3

'मैं यथाशक्य कानूनी व संवैधानिक प्रयास करने का सशर्त वचन देता हूँ कि भारत की संसद वित्त विधेयको द्वारा धारक को भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्टीय मुद्रा के रूप में मान्य 25 अमेरिकी डॉलर के तुल्य भारतीय मुद्रा अदा करे।'

विकल्प 4

'मैं यथाशक्य कानूनी व संवैधानिक प्रयास करने का सशर्त वचन देता हूँ कि भारत की संसद वित्त विधेयको द्वारा धारक को 25 भारतीय रुपये की उतने गुना रकम वापस करे, जितने गुना अधिक रकम प्राप्त होने की अपेक्षा पर देश के अनुदानकर्ता अनुदान देना पसन्द करें और संसद द्वारा उतने गुना रकम की वापसी सम्भव हो।